

05.04.2024

वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज सिंगह से तलब की गई। पत्रावली पैश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी निवदेन किया कि वाद प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। तहसीलदार भीलवाडा द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राप्त विभाजन के अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध मृतक प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम विधिक वारिसान 1/1 से लगायत 1/3 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पांसल प0ह0 पांसल भू0अ0नि0 पांसल तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादी एवं मृतक प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम विधिक वारिसान 1/1 से लगायत 1/3 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, उसी अनुसार भूमि वादी एवं मृतक प्रतिवादी संख्या के कायम मुकाम विधिक वारिसान 1/1 से लगायत 1/3 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।


1. वादी श्री नारायणलाल पुत्र केदारमल जाति लडा निवासी 2 एफ 11 आर.सी. व्यास कॉलोनी भीलवाडा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

| आराजी नम्बर | रकबा            | किस्म |
|-------------|-----------------|-------|
| 323/1       | 0.1854          | -     |
| किता-1      | 0.1854 हैक्टेयर | -     |

2. मृतक प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम विधिक वारिसान गोपाल पुत्र पन्ना 1/3, लाली 1/3, दुर्गा 1/3 पुत्रीयाँ पन्ना जाट सा0 मंगलपुरा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

| आराजी नम्बर | रकबा            | किस्म |
|-------------|-----------------|-------|
| 323/3       | 0.0928          | -     |
| किता 1      | 0.0928 हैक्टेयर | -     |

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफतर दाखिल हो।

  
(आब्द निवृत्ति सोमनाथ)  
सुपरीवेडि कारी कारी  
पदेन सदस्य क. न. न. न.  
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0वी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेनसहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी -आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

उनवान

1-श्री नारायणलाल पिता केदारमल लढा निवासी 02 एफ-11 आर0सी0व्यास कालोनी भीलवाडा।

---वादी

बनाम

1-श्री पन्ना पिता घीसा जाट मुतक के बजाय :-

1/1-श्रीमति दुर्गा पुत्री पन्न जाट पत्नि जगदीश जाट निवासी बोरडा तहसील व जिला भीलवाडा।

1/2-श्रीमति लाली पुत्री पन्ना जाट पत्नि उदयलाल जाट निवासी देवली तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।

1/3-श्री गोपाल पिता पन्ना जाट निवासी मंगलपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

2-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

-प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0

प्रकरण संख्या 73/2023 राजस्व वाद

वादी की ओर से अधिवक्ता श्रवण कुमार सैन उपस्थित व प्रतिवादीगण की ओर से में- इस वाद में आज तारीख 05.04.2024 को पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत अन्तिम डिक्री दी जाती है -

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध मृतक प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम विधिक वारिसान 1/1 से लगायत 1/3 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पांसल प0ह0 पांसल भू0अ0नि0क्षेत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है उसी अनुसार भूमि वादी एवं मृतक प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम विधिक वारिसान 1/1 से लगायत 1/3 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

1. वादी श्री नारायणलाल पुत्र केदारमल जाति लढा निवासी 2 एफ 11 आर.सी. व्यास कॉलोनी भीलवाडा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।


| आराजी नम्बर | रकबा            | किस्म |
|-------------|-----------------|-------|
| 323/1       | 0.1854          | -     |
| किता-1      | 0.1854 हैक्टेयर | -     |

2. मृतक प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम विधिक वारिसान गोपाल पुत्र पन्ना 1/3, लाली 1/3, दुर्गा 1/3 पुत्रीयाँ पन्ना जाट सा0 मंगलपुरा खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

| आराजी नम्बर | रकबा            | किस्म |
|-------------|-----------------|-------|
| 323/3       | 0.0928          | -     |
| किता 1      | 0.0928 हैक्टेयर | -     |

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 05.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर भीलवाडा